□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 4408
19 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

अकायशील आयुर्विज्ञान कॉलेज

4408. श्री□ □□□□ □□हू□

क्या स्वास्थ्य और परिवार □ल□□□ □त्री□ यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने तलचेर म अकायशील आयुर्विज्ञान कॉलेज का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयुर्विज्ञान कॉलेज को कब तक कायशील बनाए जाने को संभावना है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□□ □□□)□

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) के अधिक्रमण म बोड ऑफ गवनस (बीओजी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तालचेर म कोई मेडिकल कॉलेज नहों है। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956 को धारा 10क और इसके अंतगत निर्मित विनियमों के तहत, राज्य सरकार, कोई भी सोसायटी / ट्रस्ट / कंपनी या विश्वविद्यालय तालचेर, ओडिशा म किसी भी मेडिकल कॉलेज को स्थापना करने के लिए आवेदन कर सकते ह।

(ख) और (ग): प्रश्न नहों उठता।

*****